

प्र. 6 नामांकन की अवधि अर्थात् विधि क्या है ?

01 जून 2015 से 31 से मई 2016 तक प्रारंभ में कवर अवधि के उदघाटन पर सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना स्वतः नाम विकल्प 31 मई 2015 तक दे। यह समय सीमा 31 अगस्त 2015 तक बढ़ायी जा सकती है। इस तिथि के बाद विनिर्दिष्ट शर्तों पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में शामिल होना संभव हो सकता है। वे सदस्य जो कि पहले वर्ष के उपरांत योजना को कायम रखना चाहते हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वे आगामी वर्षों के लिए प्रत्येक अगली 31 मई से पहले स्वतः नाम के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। इस तिथि के बाद निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना का नवीनीकरण संभव हो सकता है।

प्र. 7 क्या वे पात्र व्यक्ति जो कि प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं ?

जी हां। स्वतः नाम के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर तदनुसार भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी जुड़ सकते हैं।

प्र. 8 क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं ?

किसी भी समय योजना को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में फिर से जुड़ सकते हैं जो कि यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

प्र. 9 योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा ?

सहभागी बैंक मुख्य पॉलिसीधारक होंगे। सहभागी बैंकों के परामर्श से पीएसजीआईसी चयनित साधारण/बीमा कंपनी द्वारा सरल और सदस्य हितैषी प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्र. 10 सदस्या का दुर्घटना कवर कब समाप्त हो सकता है ?

निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त / सीमित हो जाएगा।

1) 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतम आयु) प्राप्त करने पर।

2) बैंक खाते की समाप्ति या बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।

3) यदि सदस्य एक से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।

प्र. 11 बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी ?

योजना का संचालन पीएसजीआईसी अथवा किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी जो कि एक बैंक/बैंकों के साथ सहभागिता में ऐसे उत्पाद को प्रस्तावित करने को इच्छुक हो, किया जाएगा। खाताधारकों से प्राप्त विकल्प के अनुसार उचित वार्षिक प्रीमियम को देय तिथि को अथवा उससे पहले, स्वतः नाम प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करने तथा बीमा कंपनी को देय राशि को अंतरित करने का उत्तरदायित्व सहभागी बैंक का होगा। अपेक्षानुसार सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन फार्म/ स्वतः नाम: प्राधिकरण सहमति/सहघोषणा फार्म प्राप्त किया जाएगा और रखा जाएगा। दावा प्राप्त होने की स्थिति में, पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कह सकती है। पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी समय इन दस्तावेजों को मांगने का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्र. 12 प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा ?

1) पीएसजीआईसी प्रति सदस्य 10 रुपये

2) सूक्ष्म / बीसी (कारपोरेट रुपये प्रतिवर्ष 1 प्रति सदस्य की प्रतिपूर्ति एजेंट को

3) रुपये प्रति 1 प्रति सदस्य की प्रतिपूर्ति भागीदार बैंक को (संचालन व्यय)

प्र. 13 क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अन्तर्गत जिसमें सदस्य कवर है, अतिरिक्त होगा ?
जी हां।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा

(वार्षिक भुगतान प्रीमियम रुपये 12/-)